

विदेश मंत्री एवं  
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री  
भारत



Minister of External Affairs &  
Overseas Indian Affairs  
India

सुषमा स्वराज  
*Sushma Swaraj*



संदेश

24 जून, 2015 को आयोजित तीसरे पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेशों में पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारियों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी है। इस दिन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन पासपोर्ट अधिनियम 1967 और पासपोर्ट जारी करने संबंधी समर्थकारी उपबंधों को अधिनियमित किया गया था। विदेश मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालय, केंद्रीय पासपोर्ट संगठन को इस दिन को मनाते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि वह पासपोर्ट सेवाओं को सुनिश्चित रूप से समयबद्ध सीमा में कुशलतापूर्वक उपलब्ध कराने के प्रति पुनः समर्पित हों।

गत वर्ष कई मायनों में उल्लेखनीय रहा है। मुझे विशेषकर इस बात पर गर्व है कि हाल ही में पासपोर्ट सेवा को तीन आई. एस. ओ. प्रमाणीकरण मिले हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के प्रमाण हैं। इसके अलावा पासपोर्ट सेवा को ई गवर्नेंस और वेब रत्न प्लैटिनम आइकॉन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। पासपोर्ट सेवाओं को नागरिकों के करीब लाने के उद्देश्य से पहली बार देश भर के दूरदराज क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवा कैम्प आयोजित किए गए। गत एक वर्ष के दौरान उत्तर पूर्व में चार पासपोर्ट सेवा केन्द्रों की स्थापना, सर्व सेवा केन्द्रों को शामिल करना, पासपोर्ट मेलों का आयोजन और पासपोर्ट आवेदन और उसे जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने जैसे कई जन-कल्याणकारी उपाय किए गए।

हमारी सरकार 'मिनीमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस' के सिद्धांत और नागरिकों को सर्व सुलभ, जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से सेवाओं को उपलब्ध करने के प्रति वचनबद्ध है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समेकित और सशक्त तंत्र स्थापित करने में हम विश्वास रखते हैं। आइए इस महत्वपूर्ण दिन पर हम नए विश्वास और ऊर्जा के साथ पासपोर्ट जारी करने की व्यवस्था को अनुकरणीय बनाने के प्रति तत्पर हों।

सुषमा स्वराज  
सुषमा स्वराज